## दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) संशोधनकारी अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 25)

[2 जून, 2006]

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) संशोधनकारी अधिनियम, 2006 है। संक्षिप्त नाम।
- 2. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 1 की उपधारा (2) में, '', राजपत्र में 2005 के अधिनियम अधिसूचना द्वारा, नियत करे'' शब्दों के पश्चात् ''और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए संख्यांक 25 की धारा भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

## संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण निरसन अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 30)

[13 जुलाई, 2006]

संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण अधिनियम, 1980 का निरसन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण निरसन अधिनियम, संक्षिप्त नाम। 2006 है।
  - 2. संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण अधिनियम, 1980 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

1980 के अधिनियम 14 का निरसन।

3. (1) इस अधिनियम द्वारा निरिसत अधिनियमिति के निरसन से ऐसी किसी अन्य व्यावृत्ति। अधिनियमिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसको निरिसत अधिनियमिति लागू की गई है, जिसमें वह सिम्मिलित की गई है या जिसके प्रति वह निर्दिष्ट की गई है;

और इस अधिनियम का प्रभाव, पहले की गई या सहन की गई किसी बात अथवा पहले ही अर्जित, उद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या उसके विषय में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग से निर्मोचन या उन्मोचन अथवा पहले दिए गए किसी परित्राण या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणाम पर नहीं पड़ेगा;

इस अधिनियम का प्रभाव विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के रूप या अनुक्रम, पद्धित या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी कि वह इस अधिनियम द्वारा निरिसत किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे किसी भी रीति से प्रतिज्ञान या मान्यता प्राप्त या व्युत्पन्न हुआ है, नहीं पड़ेगा;

इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनरुज्जीवित या प्रत्याविर्तत नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) इस अधिनियम के निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली या उसके साधारण रूप से लागू होने को प्रभावित करने वाली अभिनिर्धारित नहीं की जाएगी।

1897 का 10